N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0062 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 20/03/2025 18:25 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 12/03/2025 **Date To (दिनांक तक):** 19/03/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 09:30 बजे **Time To (समय तक):** 10:57 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 20/03/2025 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 20/03/2025 18:25:32 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 09 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** POLICE THANA PRATAP NAGAR, EAST AYUKTALY JAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** VIJENDRA KAHAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** PURAN MAL KAHAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 15/08/1990 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM POST KHATOLI, PIPLAODA, KOTA RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM POST KHATOLI, PIPLAODA, KOTA RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	KANHAIYA LAL MEENA		पिता:RANJEET MEENA	1. 65,JP NAGAR LUNIYAWAS,JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि दिनांक 12.03.2025 को मन् उप अधीक्षक पुलिस को अति0 पुलिस अधीक्षक नगर-प्रथम ने अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर वहां पर उपस्थित व्यक्ति का परिचय परिवादी श्री विजेन्द्र कहार पुत्र श्री पूरण मल कहार, जाति कहार, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम खातोली, तहसील पीपलदा, जिला कोटा के रुप में करवाते हुये परिवादी श्री विजेन्द्र कहार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर अग्रिम कार्यवाही किये जाने के आदेश फरमाये। परिवादी श्री विजेन्द्र कहार ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुये बताया कि मैं विजेन्द्र कोटा का रहने वाला हूं, अभी कुछ समय पहले मैंने OLX पर एक कैमरा वरुण नाम के व्यक्ति से खरीदा था, जिसकी मैंने वरुण को 55,000 रुपये कीमत चुकाई थी। उक्त कैमरा मेरे पास करीब एक महीने रहा, उसके बाद वरुण का मेरे पास फोन आया, जिसने कहा जो कैमरा तुमने खरीदा था वो वापस तुम्हें मुझे देना पड़ेगा, जिस पर मैंने उससे कारण पूछा तो उसने कहा मैंने गलती से तुम्हें कैमरा बेच दिया अब जिसके नाम कैमरा है वह वापस हमसे कैमरा मांग रहा है। जिस पर मैंने उसे कैमरा लौटाने के लिए चुकाई कीमत वापस मांगी जिसने मुझे 50,000 रुपये वापस लौटा दिये और मैंने वरुण को कैमरा वापस लौटा दिया। लेकिन इसके बावजूद मेरे पास मेरे मोबाईल नं. [redacted] पर एक व्यक्ति का फोन मोबाईल नं. [redacted] से आया, जिसने अपना नाम कन्हैया कानिस्टेबल पुलिस थाना प्रताप नगर, जयपुर का होना बताया और मुझे बोला कि जो कैमरा तुमने वरुण से लिया था इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज है और तुझे मामला निपटाने के लिए जयपुर आना पड़ेगा। मैंने उसे बोला कि मैं कैमरा वापस वरुण को दे चुका हूं तो उसने बोला कि कागजी काम मामला निपटाने के लिए जयपुर तो आना ही पड़ेगा और तुझे झमेले और कानूनी अड़चन में नहीं फंसना है तो तुझे सात हजार रुपये मुझे देने पड़ेगे। जिस पर मैं शिकायत करने जयपुर आया हूं। कन्हैया कानिस्टेबल पुलिस थाना प्रताप नगर जयपुर उक्त मामले को निपटाने, मुझे इस मामले में नहीं फंसाने तथा लिखापढ़ी कागजी काम के नाम से रिश्वत राशि 7,000 रुपये मांग रहा है। मैं कन्हैया को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी कन्हैया से कोई रंजिश, उधार या लेन-देन बकाया नहीं है तथा परिवादी ने यह भी बताया कि दिनांक 10.03.25 को समय 05.20 पीएम पर मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर मोबाईल नम्बर [redacted] से व्हाटसएप पर इसी नम्बर का कॉन्टेक्ट नम्बर, हाय तथा एक फोन-पे स्कैनर प्राप्त हुआ इसके बाद श्री कन्हैया ने मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से व्हाटसएप कॉल करके बताया कि मैंने आपको मोबाईल नम्बर 8209874227 से एक फोन-पे स्कैनर भिजवाया है, आप इस पर 7,000 रुपये भिजवा दो, यह रुपये मेरे पास अपने आप पहुंच जायेगें तथा आपका काम हो जायेगा, आपको जयपुर आने कि जरुरत नहीं पड़ेगी । परिवाद एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांगने का पाया जाने पर दिनांक 12.03.2025 को परिवादी श्री विजेन्द्र कहार के मोबाईल नम्बर [redacted] व आरोपी कन्हैयालाल मीणा कानि. के मोबाईल नम्बर [redacted] पर व्हाटसएप कॉल से रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया, जिसमें आरोपी कन्हैयालाल मीणा कानि. द्वारा रिश्वत मांग करना पाया जाने पर दिनांक 19.03.2025 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन करने का निर्णय लिया जाकर स्वतंत्र गवाहान की तलबी की गई। दिनांक 19.03.2025 को स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी उपस्थित कार्यालय आये परिवादी श्री विजेन्द्र कहार द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि के 500-500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000 रूपये मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश करने पर नियमानुसार फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तैयार की गई। तत्पश्चात दिनांक 19.03.2025 को समय 09.30 एएम पर उप अधीक्षक पुलिस नीरज गुरनानी, स्वतंत्र गवाहान श्री नरेन्द्र कुमार ईनाणिया वरिष्ठ सहायक व श्री अशोक कुमार बैरवा कनिष्ठ सहायक, श्री हरिसिंह कानि. 19, लालु कानि. 418 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सामान के ब्यूरो कार्यालय जयपुर से जरिये सरकारी वाहन संख्या आरजे 14 युडी 1394 मय चालक के ब्यूरो कार्यालय से गोपनीय कार्यवाही के लिए रवाना हुआ व परिवादी श्री विजेन्द्र कहार को श्री मनु शर्मा कानि. 111 के साथ सरकारी मोटर साईकिल से तथा बंशीधर कानि. 24, आशीष कानि. 208 को निजी मोटर साईकिल से रवाना कर महल रोड़ पर अक्षय पात्र के पास पहुंच कर संदिग्ध आरोपी की पुलिस थाने में उपस्थिति मालूम करने हेतु परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर नार्मल कॉल करवाई जाने पर संदिग्ध ने परिवादी को प्रताप नगर थाने पर बुलाया गया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस नीरज गुरनानी मय टीम के उपरोक्तानुसार रवाना होकर राणा सांगा मार्ग पर हनुमान ढ़ाबा के सामने पहुंचा तथा समय

10.13 एएम पर परिवादी को आवश्यक हिदायत कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालु कर संदिग्ध आरोपी से सम्पर्क करने हेतु पुलिस थाना प्रताप नगर के लिए पैदल रवाना किया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी परिवादी के पीछे-पीछे आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस भी पीछे-पीछे रवाना हुआ। इसके बाद परिवादी श्री विजेन्द्र कहार ने समय करीब 10.57 एएम पर पुलिस थाना प्रताप नगर के मुख्य द्वार से बाहर सड़क पर आकर पूर्व निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता के पुलिस थाना प्रताप नगर के मुख्य गेट के बाहर सड़क पर परिवादी के पास पहुंचा व डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद करके अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी श्री विजेन्द्र कहार ने बताया कि प्रताप नगर थाने के अन्दर प्रथम तल पर सीढ़ियों के पास वाले कक्ष में कुर्सी पर बैठे श्री कन्हैयालाल जी कानिस्टेबल ने मेरे द्वारा वरुण से लिये गये कैमरे के संबंध में दर्ज रिपोर्ट का मामला निपटाने और कानूनी अड़चन में नहीं फंसाने की ऐवज में मुझसे मांगने पर मैंने अपने पास से 5,000 रूपये उनको देने पर उन्होंने अपने दांये हाथ में लेकर गिनकर अपनी पहनी हुई जींस पेंट की सामने की दांयी जेब में रखे हैं। जिस पर परिवादी श्री विजेन्द्र कहार को साथ लेकर मय हमराहीयान के थाना प्रताप नगर में प्रथम तल पर पहुंचा, जहां पर सीढ़ियों के पास एक कमरे में पीछे के कोने में कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यह श्री कन्हैयालाल जी हैं, जिसने मुझसे अभी-अभी 5,000 रूपये रिश्वति राशि अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर गिनकर अपनी पहनी हुई जींस पेंट की सामने की दांयी जेब में रखे है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त व्यक्ति को अपना व ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देकर उससे अपना नाम पता पूछा तो वह घबरा गया, जिसे तसल्ली देकर पूछने पर उसने अपना नाम कन्हैया लाल मीणा पुत्र श्री रणजीत मीणा, उम्र 34 वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम डांगरवाड़ा, तहसील आंधी, जयपुर हाल मकान नं. 65, जेपी नगर, लुणियावास, जयपुर हाल कानि. 3594, पुलिस थाना प्रताप नगर, (पूर्व) आयुक्तालय, जयपुर होना बताया। परिवादी से प्राप्त किये गये डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर सरसरी तौर से सुना गया तो उसमें परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत लेन-देन के समय हुई वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई, इसके पश्चात् आरोपी श्री कन्हैया लाल मीणा कानि. से पूछा गया कि आपने परिवादी विजेन्द्र कहार से अभी कुछ देर पहले किस बात के रूपये लिये है। जिस पर आरोपी कन्हैया लाल मीणा ने बताया कि श्री सोनू द्वारा थाना प्रताप नगर पर दिनांक 05.02.25 को एक शिकायती परिवाद प्रस्तुत किया गया था, कि "दिनांक 17.12.24 को मैंने मेरा कैमरा मेरी जान-पहचान के 02 युवकों को 04 दिन के लिए दिया था, वो कैमरा लौटा नहीं रहे है। अतः मेरा कैमरा वापस दिलाया जाये।" उक्त परिवाद की जांच मेरे नाम करने पर उक्त परिवाद की जांच मेरे द्वारा की जा रही है। इस संबंध में श्री विजेन्द्र कहार द्वारा वरुण को शेष 5,000 रुपये देने थे, वो 5,000/- रूपये मुझे इसने वरुण को देने के लिए दिये जो मैनें अपने दांये हाथ से लेकर दोनों हाथों से गिनकर मेरी पहनी हुई जींस पेंट की सामने की दांयी जेब में रखे है। मैंने इनसे कोई रिश्वति राशि प्राप्त नहीं की है। इस पर मौजूद परिवादी ने श्री कन्हैयालाल मीणा कानि. के स्पष्टीकरण का खण्डन करते हुए बताया कि ये झूंठ बोल रहे है। इन्होंने अपने मोबाईल नं. [redacted] से मेरे मोबाईल नं. [redacted] पर फोन कर अपना नाम कन्हैयालाल पुलिस थाना प्रताप नगर, जयपुर होना बताया और मुझे बोला था कि "जो कैमरा तुमने वरुण से लिया था इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज है और तुझे मामला निपटाने तथा झमेले और कानूनी अड़चन में नहीं फंसना है तो तुझे सात हजार रुपये मुझे देने पड़ेगें।" जबकि मैंने वरुण को कैमरा वापस लौटा दिया था तथा वरुण से मेरे पैसे वापस प्राप्त कर लिये थे। इस संबंध में मैंने दिनांक 12.03.2025 को आपको शिकायत की थी, जिस पर आप द्वारा मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] व इनके मोबाईल नम्बर [redacted] के मध्य हुई व्हाटसएप कॉल वार्ता को आपके डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त वार्ता के दौरान मैंने इनको अपने पास रिश्वति राशि 7,000 रुपये नहीं होकर 5,000 रुपये ही होना बताया था। आज इन्होंने मेरे द्वारा वरुण से लिये गये कैमरे के संबंध में दर्ज रिपोर्ट का मामला निपटाने और कानूनी अड़चन में नहीं फंसाने की ऐवज में मुझसे 7,000 रुपये देने के लिए कहा लेकिन मैंने कहा कि मेरे पास 5,000 रुपये ही है। फिर इसने मेरे से 5,000 रूपये अपने दांये हाथ में प्राप्त कर गिनकर अपनी पहनी हुई जींस पेंट की सामने की दांयी जेब में रखने के बाद मैंने नीचे उतर कर थाने से बाहर सड़क पर जाकर आपको ईशारा कर दिया और आपके मनु शर्मा कानि. को मोबाईल से फोन भी किया। इस पर पुनः श्री कन्हैयालाल से पूछा गया तो वह कुछ नहीं बोला और गर्दन नीचे कर ली। इसके पश्चात् परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ट्रेप बॉक्स से दो साफ प्लास्टिक के गिलासों में पुलिस थाने से बोतल में स्वच्छ पानी मगंवाकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण के एक गिलास में कन्हैयालाल मीणा कानि. के दांहिने हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना बताया। उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों मे आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसी प्रकार दूसरे मिश्रण के गिलास में कन्हैयालाल मीणा कानि. के बांये हाथ की अगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे भी सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना बताया। उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों मे आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद

कन्हैयालाल मीणा कानि. की जामा तलाशी गवाह श्री नरेन्द्र कुमार ईनाणिया से लिवाई गई तो पहनी हुई जींस कि पेन्ट की दांयी जेब में 500-500 रुपये मिले। जिसका दोनों गवाहान से कार्यालय में बनाई गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से मिलान करवाया गया तो 500-500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000 रूपये हुबहू वहीं नम्बरी नोट होना पाए गए। उक्त बरामद शुदा 5,000 रिश्वति नोटों को एक सफेद कागज के साथ नत्थी कर सील मोहर किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये। इसके बाद ट्रेप बॉक्स से एक साफ प्लास्टिक का गिलास निकलवाकर कर उसमें साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार करवाया जाकर समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात आरोपी की पहनी हुई जीसं की पेन्ट की जेब का धोवन लेने हेतु बैरिक से एक लोवर मंगवा कर कन्हैयालाल मीणा कानि. की पहनी हुई जींस की पेन्ट को उतरवाकर लोवर पहनवाया गया तथा कन्हैयालाल मीणा कानि. की जींस की पेन्ट की सामने की दांई जेब जिससे रिश्वति राशि बरामद हुई को उलटवाकर उक्त तैयार शुदा घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा डालकर सील मोहर कर मार्क अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् पेन्ट की जेब को सुखवाकर जेब पर परिवादी, स्वतंत्र गवाहान, कन्हैयालाल मीणा कानि. के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर कपडे की थैली पर परिवादी, स्वतंत्र गवाहान, कन्हैयालाल मीणा कानि. के हस्ताक्षर करवाकर मार्क अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। कन्हैयालाल मीणा कानि. से परिवादी श्री विजेन्द्र कहार के संबंध में दर्ज परिवाद के संबंध में पूछा तो अपने बक्से में परिवाद रखा होना बताया। परिवादी ने यह भी बताया कि इन्होंने यहां पर मेरे से 5,000 रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करने के बाद मेरे से पूछताछ कर एक कागज पर मेरा पूछताछ नोट भी लिख कर अपनी टेबल पर रखा था। जिस पर टेबल पर रखे दस्तावेज को देखा गया तो श्री विजेन्द्र कहार पुत्र श्री पूरणमल कहार का मूल पूछताछ नोट व कार्बन कॉपी मिला व श्री सोनू कुमार द्वारा थानाधिकारी प्रताप नगर के नाम रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत मूल प्रार्थना-पत्र व कार्बन कॉपी मिली तथा श्री कन्हैयालाल मीणा के बताये अनुसार बैरिक में रखे उसके बक्से में परिवादी श्री सोनू कुमार द्वारा प्रस्तुत परिवाद जिस पर लाल अक्षरों में पार्ट-थर्ड, आर 239 दिनांक 05.02.25 अंकित है तथा पृष्ठ सं 01 से 05 तक है। उपरोक्त परिवाद, पूछताछ नोट व प्रार्थना-पत्र कि छायाप्रति कार्यालय पुलिस थाना प्रताप नगर में दी जाकर उपरोक्त पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किये गये तथा मुख्य लेखक पुलिस थाना प्रताप नगर से परिवादी श्री विजेन्द्र कहार से संबंधित परिवादी श्री सोनू कुमार द्वारा थाना प्रताप नगर में प्रस्तुत परिवाद जो बाद दर्ज जांच हेतु कन्हैयालाल मीणा कानि. के नाम किया गया था से संबंधित आनॅलाईन शिकायत दिनांक 05.02.2025 से संबंधित दस्तावेज पृष्ठ सं. 01 लगायत 06 तक की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात आरोपी कन्हैयालाल मीणा कानि. से पूछताछ की जाकर पूछताछ नोट तैयार किया गया तथा घटनास्थल का स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष निरीक्षण कर परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। उसके पश्चात कन्हैयालाल मीणा कानि. को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवा कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वति लेन-देन परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता के संबंध में अपनी नमूना आवाज देने बाबत् पूछने पर आरोपी कन्हैयालाल मीणा कानि. ने अपनी नमूना आवाज देने से स्पष्ट इंकार कर दिया। जिसकी फर्द नमूना आवाज तैयार की गई। अब तक की कार्यवाही से आरोपी कन्हैयालाल मीणा कानि. के विरूद्ध अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर कन्हैयालाल मीणा कानि. को पृथक से जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी कन्हैया लाल मीणा कानि. की जामा तलाशी में मिले मोबाईल फोन को चालु करवा कर सरसरी तौर पर निरीक्षण किया गया तो परिवादी के मोबाईल नम्बर[redacted] पर वार्ताऐं होना पाई गई है, जिसकी अनुसंधान में आवश्यकता पड़ने के कारण उक्त मोबाईल को जरिये फर्द जप्त किया गया। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष परिवादी व आरोपी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन-देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार कर पृथक-पृथक डीवीडी तैयार की गई। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान शील्डशुदा आर्टिकल्स पर लगाई गई सील की फर्द नमूना सील पृथक से तैयार आदि कार्यवाही की गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेन-देन में परिवादी विजेन्द्र कहार द्वारा, "लेकिन मेरे पास है ना जो सात की व्यवस्था नहीं हो पाई पांच, पांच की ही कर पाऊंगा, परिवादी विजेन्द्र कहार द्वारा, "सर फिर बाद में मेरे को और कोई दिक्कत तो नहीं आयेगी ना" आरोपी कन्हैयालाल मीणा कानि. द्वारा, "ना.....ना कोई वो नहीं आयेगी" परिवादी द्वारा, "सर वो मैं पांच ही कर पाऊगां लेकिन फिर मैं आपको बता दूं देख लो आप" आरोपी द्वारा, "माल कितना लेके आये हो पहले ये बताओ" परिवादी द्वारा, "मैंने बता दिया था आपको वो ही" आरोपी द्वारा, "सात कि कहा था ना मैंने" परिवादी द्वारा, "सात की नहीं हो पायेगी सर सात की" आरोपी द्वारा, "ले तो निकाल" परिवादी द्वारा, "पांच ही है पूरे" आरोपी द्वारा, "पांच से क्या होगा यार" परिवादी द्वारा, "पांच कर दिये मैनें आपको बहुत है" आरोपी द्वारा, "मैनें सात के लिये कहा था" परिवादी द्वारा, "पांच बहुत होते हैं मैं आपको कर ही दिये" परिवादी द्वारा, "अब तो कोई दिक्कत नहीं आयेगी" आरोपी द्वारा, "हां नहीं" आदि वार्ताऐं हुई है। अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी कन्हैयालाल मीणा कानि. द्वारा अपने पदीय कर्तव्यो का दुरूपयोग कर वैध पारिश्रमण से भिन्न अवैध

पारिश्रमिक प्राप्त करने के आशय से परिवादी से प्रताप नगर थाने में श्री सोनू द्वारा कैमरे के संबंध में दर्ज शिकायत परिवाद में परिवादी श्री विजेन्द्र कहार का मामला निपटाने और कानूनी अड़चन में नहीं फंसाने आदि की ऐवज में परिवादी से 7,000 रुपये रिश्वत राशि मांग किये जाने पर दिनांक 12.03.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान परिवादी द्वारा 5,000 रुपये की ही व्यवस्था होना बताया गया, जिसमें आरोपी द्वारा रिश्वत राशि लेना तय कर दिनांक 19.03.2025 को ट्रेप कार्यवाही आयोजन के दौरान आरोपी श्री कन्हैयालाल मीणा कानि. द्वारा परिवादी से 5,000 रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः आरोपी कन्हैया लाल मीणा पुत्र श्री रणजीत मीणा, उम्र 34 वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम डांगरवाड़ा, तहसील आंधी, जयपुर हाल मकान नं. 65, जेपी नगर, लुणियावास, जयपुर हाल कानि. 3594, पुलिस थाना प्रताप नगर, (पूर्व) आयुक्तालय, जयपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। भवदीय, (नीरज गुरनानी) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-प्रथम, जयपुर.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नीरज गुरनानी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर प्रथम जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री कन्हैया लाल मीणा पुत्र श्री रणजीत मीणा, उम्र 34 वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम डांगरवाड़ा, तहसील आंधी, जयपुर हाल मकान नं. 65, जेपी नगर, लुणियावास, जयपुर हाल कानि. 3594, पुलिस थाना प्रताप नगर, (पूर्व) आयुक्तालय, जयपुर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री गम्भीर सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ, जयपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 286 पर अंकित है।(राहुल कोटोकी) उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 346-49 दिनांक 20-03-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर । 2-उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3- पुलिस उपायुक्त(मुख्यालय), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर । 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-प्रथम जयपुर। उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** Gambheer singh **Rank** निरीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): kashana **(पद):**

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Rahul Katakey
Location: Rajasthan,IN
Date: 20/03/2025 18:

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): RAHUL KATAKEY

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	15/08/1990				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)